

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2017 को आयोजित महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

क्र0	महत्वपूर्ण कार्य	अनुपालन के बिन्दु	अनुपालन पदाधिकारी
1	2	3	4
1	बैंक खाता संबंधी जाँच	समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि सभी 77 कार्यालयों से प्रपत्र-A एवं B में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसे वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। प्रपत्र-C में आईसी0डी0पी (सहकारिता) से प्रतिवेदन अप्राप्त है एवं अन्य विभागों से प्राप्त में प्रतिवेदन C में वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अबिलम्ब प्रपत्र-C में भेजना सुनिश्चित करें। गत बैठकों में सभी कार्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया था कि विभाग/कार्यालय के जो बैंक खाता चालू है उसमें SMS एलर्ट एवं नेट बैंकिंग शीघ्र करा लें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ कार्यालयों द्वारा एस0एम0एस0 एलर्ट कराया गया है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि उत्पाद, कृषि, श्रम विभाग, भू-अर्जन को छोड़कर किसी पदाधिकारी द्वारा नेट बैंकिंग नहीं कराया गया है। जिन पदाधिकारी द्वारा नेट बैंकिंग कराया गया है उनके द्वारा अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। पुनः सभी कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया गया कि एस0एम0एस0 अलर्ट एवं नेट बैंकिंग तीन दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदित करें।	जिला सहकारिता पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्ता
2	लंबित DC Bill व उपयोगिता प्रमाण-पत्र (राजस्व), अन्य	समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला कृषि पदाधिकारी-3, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-1, जिला निवाचन-1, जिला शिक्षा अधीक्षक-1, DPO योजना एवं लेखा-1, उद्योग केंद्र-7, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा-9, अनुमंडल पदाधिकारी, गोरखी-6, जिला राजस्व-6, जिला पंचायत-8, नगर परिषद, खगड़िया-1 नगर पंचायत, गोरखी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)-4 तथा अंचलों, प्रखंडों एवं बाल विकास परियोजनाओं में काफी संख्या में डी0सी0 विपत्र लंबित है। सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे शीघ्रताशीघ्र लंबित डी0सी0 विपत्र को भेजना सुनिश्चित करेंगे। कई विभागों के पास उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी लंबित पाये। सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें। कोषागार पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक सप्ताह लंबित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूची जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।	अपर समाहर्ता/सभी संबंधित पदाधिकारी
3	सर्वे व Land record के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति MIS पर Entry Website पर प्रकाशन (Reg-2)	प्रभासी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि खगड़िया अंचल के जमाबन्दी इन्ट्री का कार्य 3 मई 2017 से चल रहा है। कुल 51 मौजा में के 115989 जमाबन्दी के विरुद्ध सभी 115989 जमाबन्दी का इन्ट्री कार्य पूर्ण हो चुका है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 30 राजस्व ग्राम की इन्ट्री के सत्यापन हेतु अंचलाधिकारी को भेजा गया है। जिसमें से 11 मौजे का सत्यापन हो चुका है एवं शेष का सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया ने बताया कि सत्यापन करने में काफी कठिनाई हो रही है। पंजी-II में खाता एवं टोटल रकवा अंकित है तथा खेसराबार रकवा अंकित नहीं है। जमाबन्दी पंजी कम्प्यूटरइंजेशन हेतु निविदा प्रकाशन कर दिया गया है। प्रभासी पदाधिकारी, जिला राजस्व एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया को निर्देश दिया जाता है कि जितनी इन्ट्री हुई है उसकी हार्ड कॉपी निकलवा कर सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि जमाबन्दी को ऑन लाईन इन्ट्री कराना सुनिश्चित करें एवं इस हेतु कनेक्टीविटी के लिए आई0टी0मनैजर से सहयोग प्राप्त कर कनेक्टीविटी कराना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन प्रति ऑपरटर कम से कम 125-150 जमाबन्दी की इन्ट्री करेंगे।	अपर समाहर्ता/प्रभासी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा/भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया

4	गोगरी अनुमंडल एवं व्यावहार न्यायालय का संयुक्त कार्यालय भवन हेतु यू-अर्जन प्रतिवेदन (GAD)	गत बैठक में अपर समाहर्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि व्यवहार न्यायालय, गोगरी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से प्राप्त प्रस्ताव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सहमति के लिए भेजा गया था जो अबतक अप्राप्त है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व को निदेश दिया गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मंतव्य देने हेतु अथाहस्ताक्षरी के स्तर से स्मार पत्र आज ही निर्गत करना सुनिश्चित करें।	अपर समाहर्ता / प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व
5	खगड़िया-कुशेश्वर स्थान रेल लाईन हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण तेज करना (3.5 KM समस्थायरत्न)	जिला यू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को इस कार्य में तेजी लाने हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।	जिला यू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया
6	पावर सब स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता	कार्यपालक अभियंता विद्युत परियोजना द्वारा बताया गया कि 4 पावर सब स्टेशन के लिए भूमि अर्जित की जानी है। परसों (परबत्ता) के जमीन पर विवाद है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी से प्रश्नगत समर्क किया गया तथा उन्होंने बातें कर इस कार्य को कराने की बात कही गयी। अंचलाधिकारी, चौथम द्वारा हरदिया में जमीन खोजी गयी है एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया को प्रस्ताव भेजा गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया ने बताया कि प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रहने के कारण त्रुटि सुधार हेतु अंचल अधिकारी, चौथम को भेजा गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी को बुलाकर त्रुटि का निराकरण कराये। बीरवास (गोगरी) के संबंध में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पैकाट की जमीन हस्तान्तरित हो चुकी है। बेलदौर प्रखंड के सकरोहर में एक जमीन खोजी गयी है एवं प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता को भेजा गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी के द्वारा बताया गया कि सकरोहर से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव को अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी के यहाँ भेजा गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव जिला राजस्व शाखा को भेजा गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि आईटी0मैनजर से सहयोग लेकर कनेक्टिविटी कराते हुए कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा / विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना)
7	GP, DP, IPPE 2 की डाटा इन्ट्री	गत बैठक में उप विकास आयुक्त, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें कि डाटा इन्ट्री करना है अथवा नहीं? यदि नहीं कराना है तो इसे बन्द किया जाए। उप विकास आयुक्त, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि विभाग से निदेश मांगा गया था, लेकिन अभी तक कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए कार्य अभी बंद है।	उप विकास आयुक्त, खगड़िया
8	जीविका क्रेडिट लिंकेज व Disbursement rate	बैठक में जीविका, खगड़िया द्वारा बताया गया कि लिंकेज का कार्य हो रहा है। लिंकेज एवं Disbursement का कार्य हो रहा है।	डी0पी0एम0 जीविका, खगड़िया
9	पेंशनधारियों का खाता व आधार सीडिंग	समीक्षा के क्रम में निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि लाभुको को पेंशन भुगतान हेतु एडमार्डस बैंक को भेजा जाता है, तो कुछ एडमार्डस त्रुटि होने का बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है। उन्हें निदेश दिया गया कि उसकी समीक्षा कर प्रखंडों को आवश्यक निदेश देना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि पेंशनधारियों की सूची में जो फर्जी लोग हैं उसकी सूची भेजना सुनिश्चित करेंगे।	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी / सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खगड़िया
10	AC/DC बिल व UC की विशेष समीक्षा (सभी पदाधिकारी)	जिला कोषांगार पदाधिकारी के द्वारा AC/DC के लंबित सूची प्रस्तुत की गई एवं पाया गया कि प्रगति असंतोषजनक है। सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि लंबित ए0सी0 विपत्र का डी0सी0 विपत्र तैयार कर शीघ्र समायोजन कराना सुनिश्चित करें। कोषांगार पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि वे संबंधित कार्यालय प्रधान को लंबित AC/DC की सूची ई-मेल से / जिला के वेबसाईट पर उपलोड कर दें। साथ ही वे अद्यतन स्थिति के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहेंगे।	अपर समाहर्ता / कोषांगार पदाधिकारी / सभी संबंधित कार्यालय प्रधान
11	पुनर्वास के लंबित मामलों की समीक्षा, CO से प्रस्ताव लंबित	प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि पुनर्वास के जो 17-18 मामले अंचलाधिकारी स्तर पर लंबित है। इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी को स्मार पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।	प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, खगड़िया

12	स्टेशन रोड व अन्य स्थलों से अतिक्रमण हटाना	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया था, परन्तु दोबारा लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि पुनः शहर को अतिक्रमण मुक्त कराये तथा अतिक्रमण मुक्त करने के बाद यदि पुनः अतिक्रमण होता है तो जिम्मेवारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया
13	समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति का मामला	स्थापना उप समाहर्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया कि उम्मीदवार अनुसूचकों की सूची तैयार हो चुकी है एवं बैठक हो चुकी है।	स्थापना उप समाहर्ता
14	सीलिंग मामलों की विशेष समीक्षा	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि सीलिंग के 250 मामलों में से 97 गजट को सत्यापन हेतु अंचल अधिकारियों को भेजा गया था जिसमें से 14 का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अपूर्ण है। इसके लिए सभी अंचल अधिकारी को पूर्ण प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था, परन्तु उनसे पूर्ण प्रतिवेदन अप्राप्त है। उन्हें निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन हेतु अचलाधिकारियों को स्मारित करें।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया / सभी अंचल अधिकारी
15	शहर सुरक्षा तटबंध (KTP) हेतु भू-अर्जन की समीक्षा	गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया था कि बभनगामा, रानीसकरपुरा, बेला सिमरी एवं भदास मौजा से के संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को भेजा जा चुका है। बैठक में उपस्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2 के सहायक अभियंता को निदेश दिया गया था कि वे उक्त चारों मौजा से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आज की बैठक में पुनः निदेश दिया गया कि इस कार्य में प्रगति रहना सुनिश्चित करेंगे।	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ प्रमंडल-2, खगड़िया
16	विभिन्न योजनाओं हेतु आधार, बैंक खाता व मोबाइल सीडिंग	गत बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि 82 प्रतिशत राशन कार्ड की इन्ट्री की जा चुकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि छात्रों के आधार सिडिंग हेतु छः भंडर का नामांकन किया गया है एवं इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गयी है। परंतु कोई भंडर कार्य नहीं कर रहे हैं जिसकी सूचना मुख्यालय को दी गई है। उन्हें निदेश दिया गया था कि इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं प्रतिदिन की प्रगति संबंधी प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें यह भी निदेशित किया था कि जिन छात्र/छात्राओं का आधार सिडिंग नहीं हुआ है उनका आधार सिडिंग संबंधित प्रखंड में जाकर प्रखंड आधार केन्द्र में कराना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इसका अनुपालन नहीं किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुनः निदेशित किया गया कि अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।	उप विकास आयुक्त / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी / निदेशक, डी0आर0डी0ए0, खगड़िया /
17	7 थाना भवन / आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना	7 थाना भवन / आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के संबंध में गत बैठक में बताया गया था कि इसमें से बहादुरपुर पीकेट निर्माण के लिए कृषि फार्म की जमीन का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेजा गया है। मुफकसिल थाना हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप उस्माहर्ता, खगड़िया से अप्राप्त है। पीपरपती पिकेट थाना का प्रस्ताव अप्राप्त है। मानसी थाना भवन हेतु विभाग से प्राप्त आवंटन को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को उपलब्ध करा दिया गया है। पसरहा थाना हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी है परंतु पुनः उनसे अभिलेख अप्राप्त है। मोरकाही थाना भवन निर्माण हेतु गृह विभाग से अभियाना के संबंध में पत्र निर्गत किया गया है। महिला थाना हेतु उपलब्ध करायी गयी जमीन में भूतल पर महिला थाना एवं प्रथमतः अनु0जाति / जनजाति के लिए भवन निर्माण होना है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया एवं गोगरी तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया थाने के संबंध में समीक्षा कर अंचलों से प्रस्ताव भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया / भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया

18	विभागीय कार्यवाही के लंबित मामले	गत बैठक में स्थापना उप समाहर्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित सूची तैयार कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। बैठक में स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि श्री मुकेश कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता के पास 3. अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी के पास 2. अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के पास 2 एवं उनके पास 01 विभागीय कार्यवाही का मामला लंबित है। उन्हें निर्देशित किया गया कि पंचायत सेवकों के विभागीय कार्यवाही के लंबित मामलों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे एवं संबंधित पदाधिकारी को जॉब प्रतिवेदन भेजने हेतु स्मार पत्र निर्गत करेंगे।	सभी विभागीय प्रधान एवं स्थापना उप समाहर्ता, खगड़िया
19	7 निश्चय की प्रगति की समीक्षा	7 निश्चय से संबंधित सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक नियमित रूप से भेजें ताकि अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन Upload किया जा सके। 04 भवनों के लिए जमीन का चयन अबतक नहीं हो पाया है। प्रभासी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि इजिनियरिंग कॉलेज के लिए अन्य जमीन का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करें। आईटीओआई0, खगड़िया एवं गोगरी के लिए जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गत बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल ने बताया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन निर्माण हेतु जो जमीन उपलब्ध कराई गयी है उसमें विद्युत प्रवाहित तार है जिसे हटाने की आवश्यकता है। बैठक में उपस्थित विद्युत कार्यालयक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल एवं कार्यपालक अभियंता भवन को निदेश दिया गया था कि वे इस संबंध में विमर्श कर उक्त तार को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आज की बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल ने बताया कि स्थल का भ्रमण किया गया है। सीमांकन नहीं है ऐसे में विद्युत तार को हटाने के लिए कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर सीमांकन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।	उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/प्रभासी पदाधिकारी, राजस्व शाखा/7 निश्चय से संबंधित सभी पदाधिकारी/कार्यालयक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल एवं कार्यपालक अभियंता भवन
20	गैर मजरूआ आम, खास भूमि की पंजी व विवरणी Score-3	जिला अवर निबंधक के द्वारा बताया गया कि दिये गये निदेश के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।	जिला अवर निबंधक, खगड़िया
21	विधान मंडल के लंबित उत्तर (आपदा व अन्य)	समीक्षा में लंबित विधान मंडल प्रश्नों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी- 1. जिला राजस्व शाखा-04 2. जिला पंचायती राज कार्यालय-03 3. जिला आपदा प्रबंधन शाखा-01 4. जिला योजना कार्यालय-02 सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित प्रश्नोत्तर शीघ्र भेजते हुए लंबित को शून्य करना करना सुनिश्चित करें। कार्यालय अधीक्षक को भी निदेश दिया गया कि इसे अनुश्रवण करें एवं प्रतिदिन सूची को अद्यतन कर स्थिति से अवगत करायेंगे।	सभी संबंधित पदाधिकारी /कार्यालय अधीक्षक, खगड़िया
22	पशुपालना	पृच्छा पर जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि कोड चेन्ज कर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है।	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया
23	महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण	गत बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया गया था कि 36 में से 33 महादलित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण किया जा चुका है एवं 03 लंबित है। 03 लंबित योजना में छत ढलाई का कार्य चल रहा है परन्तु पानी आ जाने के कारण कार्य अवरूद्ध हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व के सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेज दिया गया एवं हाल के आवंटन के राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि चेराखेरा (अत्तीली) में लिंटल तक कार्य हुआ है एवं अभी उसमें पानी लगा हुआ है। भूतौली (चौथम) एवं अन्य एक योजना में फर्स का कार्य चल रहा है। चूंकि जिला कल्याण पदाधिकारी अभी नये है, अतएव उन्हें निदेश दिया गया कि लंबित तीनों योजनाओं की स्थलीय जांच कर अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।	जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया

24	DAY-NULM अन्तर्गत आश्रय स्थल निर्माण	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया के प्रतिनिधि नगर प्रबंधक द्वारा बताया गया कि योजना में द्वितीय तल का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसे शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया
25	लोक सूचना, लोकायुक्त व मानवाधिकार के मामले	<p>समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित मामले निम्न पदाधिकारियों के यहाँ लंबित है, जो इस प्रकार है :-</p> <p>मानवाधिकार कोषांग :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पुलिस अधीक्षक, खगड़िया-02 2. अपर समाहर्ता, खगड़िया-01 3. जिला भू-अर्जन कार्यालय-01 4. अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया-03 5. भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया-01 6. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी-05 7. वरीय प्रभारी पदाधिकारी परबला प्रखंड-01 8. वरीय प्रभारी पदाधिकारी चौथम प्रखंड-01 9. नया परिवार पत्र-01 <p>प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार कोषांग, खगड़िया को निदेश दिया गया कि पुनः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पुलिस अधीक्षक, खगड़िया एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को पत्र लिखा जाय कि वे अपने स्तर से लंबित मानवाधिकार से संबंधित मामले का प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि लंबित मामलों की जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।</p> <p>प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार कोषांग को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु पुनः अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।</p> <p>लोकायुक्त कोषांग :-</p> <p>प्रतिवेदन हेतु कोई मामला लंबित नहीं है। कुछ मामले लोकायुक्त न्यायालय में मामला सुनवाई हेतु लंबित है उन मामलों की सूची तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ आविलम्ब प्रस्तुत करें। प्रभारी पदाधिकारी, लोकायुक्त कोषांग द्वारा बताया गया कि सूची भेज दी गयी है।</p>	<p>प्रभारी पदाधिकारी, लोक सूचना कोषांग / प्रभारी पदाधिकारी मानवाधिकार - लोकायुक्त कोषांग / सभी संबंधित पदाधिकारी</p>
26	जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराना जल निकाय संरक्षण	<p>विगत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि 263 जल निकायों में 56 अतिक्रमित है इसमें से 29 में अतिक्रमण वाद चल रहा है। 12 में जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 23 को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। शेष पर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि शेष सभी अतिक्रमण पर भी वाद कायम कर आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि रूवाई प्रकृति के अतिक्रमण नियमानुसार हटाने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दें। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व को निदेश दिया गया कि अगली बैठक में जल निकायों के अतिक्रमण संबंधी मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को अवगत कराया गया कि जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त करने संबंधी प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को नहीं भेजा गया है जिसके कारण विभाग से स्मार पत्र प्राप्त हुआ है। इसके कारण उन्हें निदेशित किया गया कि वांछित प्रतिवेदन विभाग को ससमय भेजना सुनिश्चित करें।</p> <p>बैठक में उपस्थित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि यदि उनके कार्यालय की जमीन पर कोई अतिक्रमण है तो उस संबंध में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।</p> <p>अंचलों से जमाबन्दी रद्दीकरण के प्रस्ताव अपर समाहर्ता, खगड़िया के न्यायालय में प्राप्त हुए हैं। पूर्व में अपर समाहर्ता, खगड़िया को सूची भेजते हुए रद्दीकरण प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है। अपर समाहर्ता प्राप्त</p>	<p>अपर समाहर्ता, खगड़िया / प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा / सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता</p>

27	<p>पंचायत व ग्रामीण विकास योजनाओं का UC</p> <p>उप विकास आयुक्त, खगड़िया द्वारा बताया गया कि जिला परिषद से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण आधारित है एवं अंकेक्षण कार्य चल रहा है। अंकेक्षण कार्य समाप्त होने के एक सप्ताह पहले उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज दिया जायेगा। गत बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया था कि 7 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजा गया है परन्तु सभी का समायोजन होकर नहीं आया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि लंबित सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र को भेजना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि प्रखंडों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रति प्राप्त करें एवं प्रखंडों से उसका अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कराकर भेजना सुनिश्चित करें।</p>	<p>उप विकास आयुक्त / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया</p>
28	<p>पंचायत सरकार भवन को कार्यान्वित करना</p> <p>गत बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि इस जिला में 22 पंचायत सरकार भवन स्वीकृत है जिसमें से 19 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं 14 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपरी ने बताया कि बेलदौर प्रखंड के बेलदौर एवं पीरनगरा पंचायत सरकार भवन में पंचायत का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी पंचायत सरकार भवन में पंचायत एवं राजस्व का कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>काफी दिन पूर्व ही उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया को निदेश दिया गया है कि पंचायत सरकार भवन के उपस्कर हेतु सरकार से प्राप्त आवंटन को संबंधित ग्राम पंचायत को नियमानुसार उपस्कर क्रय हेतु राशि उपलब्ध करा दिया जाय। इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि उपस्कर क्रय कर संबंधित पंचायत को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p> <p>सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु जमीन का प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। उप विकास आयुक्त, खगड़िया इस हेतु अंचलाधिकारियों के माध्यम से जमीन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निदेशक डी0आर0डी0ए0 ने बताया गया कि जमीन हेतु लिखा गया है एवं स्मारित भी किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि पुनः अंचलाधिकारियों को स्मार कर प्रस्ताव प्राप्त करें।</p>	<p>उप विकास आयुक्त / जिला पंचायती राज पदा0 / जिला योजना पदा0, / कार्यपालक पदा0, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन / सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी</p>
29	<p>मुख्यमंत्री निश्चय हर घर नल जल</p> <p>समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस जिले में कुल 1859 वार्ड है। इस वर्ष कुल लक्ष्य 930 है। 213 वार्ड का टेन्डर हो गया है, 157 का भेजा गया है तथा 414 का सर्वे कार्य बाकी है एवं 45 डी0पी0आर हेतु है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 538 ए0डी0बी0 एवं 129 स्टेट फंड से करना है। उनके द्वारा बताया गया कि सर्वे का कार्य चल रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आर्सेनिक प्रभावित में 200 एवं आयरन प्रभावित 245 लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरुद्ध आर्सेनिक में 190 एवं आयरन प्रभावित के लिए वार्ड के लिए निविदा की कार्यवाही चल रही है। उन्हें निदेश दिया गया कि इसमें अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।</p> <p>कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत 26 वार्ड में किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खगड़िया.</p>
30	<p>मुख्यमंत्री निश्चय गली नाली</p> <p>गत बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 85 योजनाओं का प्राक्कलन बनाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया ने भी बताया कि नगर परिषद, खगड़िया में 22 योजनाओं में कार्य चल रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया</p>
31	<p>गोविन्दपुर पंचायत संबंधी जांच</p> <p>गत बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोपरी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि जांच प्रतिवेदन अविलम्ब उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।</p>	<p>उप विकास आयुक्त, खगड़िया</p>
32	<p>छात्रवृत्ति की जांच</p> <p>समीक्षा के क्रम में पाया गया कि छात्रवृत्ति की जांच हेतु उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया की त्रिसदस्यीय जांच कमिटी गठित की गयी है। जांच कमिटी से प्रतिवेदन प्राप्त है। विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।</p>	<p>विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा</p>

33	<p>आधार सिडिंग PDS, MNREGA, छात्रवृत्ति</p>	<p>गत बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि पी0डी0एस0 अन्तर्गत आर0सी0 01 के तहत 83 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है। मनरेगा अन्तर्गत 56 प्रतिशत आधार सिडिंग का कार्य हुआ है। इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि जो कैम्प लगाये गये थे वह बंद हो चुका है एवं उसकी सूचना विभाग को दे दी गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि प्रखंड अवस्थित आधार कैम्प में बच्चों का आधार पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>निदेशक, DRDA, खगड़िया एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया / सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी</p>
34	<p>गर्जेटियर</p>	<p>गर्जेटियर की तैयारी हेतु समिति गठित करने तथा गर्जेटियर बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि जिला के सभी कार्यालय प्रधान को गर्जेटियर संबंधी पत्र की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है एवं गत बैठक में बताया गया कि मात्र 12 पदाधिकारी से प्रपत्र में गर्जेटियर प्राप्त हुआ है। सभी कार्यालय प्रधान को भी निदेशित किया गया कि अपने विभाग से संबंधित गर्जेटियर विहित प्रपत्र में तैयार कर एक सप्ताह के अंत तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>उप विकास आयुक्त, खगड़िया / सभी कार्यालय प्रधान</p>

गत बैठकों में सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि वे कम से कम सप्ताह में एक दिन आवंटित प्रखंड में जाकर विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे एवं उसकी कार्यवाही भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आधार काउन्टर का जांच भी करेंगे। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी के द्वारा कृत समीक्षा संबंधी कार्यवाही की प्रति प्राप्त नहीं हो रही है। पुनः निदेश दिया जाता है कि वे योजनाओं / कार्यक्रमों की समीक्षा कर समीक्षा की कार्यवाही भेजना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि आर0टी0पी0एस0 काउन्टर की जांच करेंगे एवं आधार काउन्टर को दुरुस्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं राशन कार्ड से संबंधित इन्ट्री कार्यों की जांच करेंगे तथा दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदित करेंगे कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अबतक कितनी इन्ट्री हुई है एवं कितनी इन्ट्री होनी बाकी है।

(अनुपालन—सभी प्रखंड के प्रभारी वरीय पदाधिकारी)

ई—छुट्टी :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ कार्यालय प्रधान ई—छुट्टी से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है एवं अन्य से प्रतिवेदन अप्राप्त है। सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन अविलंब भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन—सभी कार्यालय प्रधान)

शिकायत पत्रों की पंजी :-

समीक्षा के क्रम में पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि शिकायत पंजी का संधारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का खगड़िया जिला भ्रमण निर्धारित है एवं उनका रात्रि विश्राम खगड़िया में संभावित है। उनके द्वारा किसी भी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। अतएव सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी (तकनीकी सहित) / कार्यालय प्रधान अपने—अपने विभाग में लंबित जन शिकायत आवेदनों का निषादन एक सप्ताह के अंदर कर लेंगे तथा कार्यालय को अद्यतन (upto date) रखना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषाग को निदेश दिया जाता है कि वे माननीय मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान प्राप्त जन शिकायत, राज्य स्तरीय पदाधिकारियों / प्रमंडलीय आयुक्त से प्राप्त जन शिकायतों का निषादन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, खगड़िया / सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी / कार्यालय प्रधान)

राजस्व से संबंधित :-

मानसी प्रखंड—सह—अंचल कार्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता — प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया जाता है कि अंचलाधिकारी, मानसी से जमीन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया)

भू विवाद :- अंचलाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि हर शनिवार को धानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से भू—विवादों के संबंध में बैठक करें एवं उसकी कार्यवाही अपलोड करें। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया एवं गोगरी को इस पर ध्यान रखने एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा / सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता / सभी अंचलाधिकारी)
धार्मिक संरचना एवं जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि निधारित तिथि के अन्दर
वांछित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा
वासगीत पर्व :- भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि वासगीत पर्व के संबंध में सभी अंचल अधिकारी के साथ समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया / सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता)
हल्का भवन :- अयोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि कई पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है वहाँ पर हल्का कर्मचारी अपना कार्यालय प्रारंभ नहीं किये हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है। उस भवन में संबंधित राजस्व कर्मचारी को अपना कार्यालय माह नवम्बर -2017 में निश्चित रूप से कार्यालय खोलवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जहाँ पूर्व से हल्का भवन है वहाँ संबंधित राजस्व अपना कार्यालय रखेंगे।

(अनुपालन-सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता)
राजेन्द्र सरोवर :- गत बैठक में अवगत कराया गया कि राजेन्द्र सरोवर की जमीन पर न्यायालय में वाद लंबित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया को निदेश दिया गया था कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें एवं स्थिति से अवगत करायेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया कि वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

(अनुपालन- भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया)
अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण :- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि वे अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालय का माह नवम्बर 2017 के अंत तक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-सभी पदाधिकारी)
सहकारिता :- जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि धान अधिप्राप्ति हंतु 85 पैक्स चयनित है समीक्षा के क्रम में पाया गया कि धान अधिप्राप्ति की गती काफी धीमी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दो दिनों के अन्दर मिलरों का निबंधन एवं टैगि का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-अनुमंडलाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी)

लोक शिकायत निवारण के मामले :-

समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा निदेश प्राप्त हुआ है कि जो लोक प्राधिकार सुनवाई में भाग नहीं लेते हैं अथवा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी है। अतः सभी लोक प्राधिकार सुनवाई में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं पारित आदेश का अनुपालन ससमय करेंगे। जिला आई टी प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि वे एतद संबंधी विन्दुओं के संबंध में प्रिट निकालकर सभी लोक प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय के साथ-साथ दोनों अनुमंडलीय लोक शिकायत कार्यालय के कार्यों की समीक्षा कर तथा लंबित अनुपालन एवं लोक प्राधिकार की उपस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन अयोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया / सभी कार्यालय प्रधान / लोक प्राधिकार / जिला आईटीओ प्रबंधक)

शिक्षा विभाग :-

शिक्षकों के सेवापुस्त की जांच :- समीक्षा के क्रम में पृच्छा पर स्थापना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि सेवापुस्त की जांच हेतु 18 पदाधिकारियों को नामित करते हुए कलैन्डर 18.10.2017 तक के लिए जारी कर दिया गया है। सेवा पुस्त की जांच आरम्भ कर दी गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया द्वारा बताया गया कि उक्त कलैन्डर की प्रति सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके स्तर से भेजी गयी है एवं उन्हें सेवा पुस्तों की जांच कराने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे संबंधित जांच पदाधिकारी एवं व्ययन पदाधिकारी से किए गए जांच संबंधी प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

पृच्छा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित शिक्षकों का वेतन भुगतान आवंटन के अभाव में 04 माह से लंबित है।

(अनुपालन : स्थापना उप समाहर्ता / जिला शिक्षा पदाधिकारी)

मानव शृंखला :- जिलाधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि 21 जनवरी 2018 को मानव शृंखला बनाया जाना है एवं इसमें 4,77.00 व्यक्तियों को शामिलित करना है। जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रतिनिधि मो० नजीबउल्लाह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेशि दिया गया कि इस संबंध में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

आर्य कन्या उच्च विद्यालय संबंधी विवाद :- जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को लिखे गये पत्र के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है इसकी जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदित करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस हेतु त्रिसदस्यीय जांच कमिटी द्वारा अपना प्रतिवेदन शिक्षा विभाग, पटना को समर्पित कर दिया गया है।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निदेश दिया जाता है कि इस विद्यालय के विवाद संबंधी मामले में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना को लिखे गये पत्र में स्मार पत्र निर्गत कर कृत कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र का प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा)

कब्रिस्तान एवं मंदिर की घेराबंदी

सभीशा के क्रम मे गत बैठक में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया द्वारा बताया गया था कि कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3 योजनायें स्वीकृत हुई थी, जिसमें परबता प्रखंड के परबता झरिलस (झरिस नगर रूपौली) में 3 तरफ के दिवाल में ईंट कार्य पूर्ण हो चुका है एवं एक तरफ 01 का कार्य प्रगति पर है। खगड़िया प्रखंड अन्तर्गत सौहरी में कार्य स्थल पर पानी भरा हुआ है एवं सबलपुर की योजना में परिमान विपत्र स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को भेजा गया है। बिहार मंदिर चाहर दिवारी निर्माण की 04 योजनायें स्वीकृत हुयी है जिसमें से गोपरी धानान्तर्गत श्री हंस कबीर मठ गढ़मोहनी के 480 फीट में से 300 फीट में ईंट कार्य पूर्ण हो चुका है। गोपरी धानान्तर्गत श्री राम जानकी धानान्तर्गत श्री राम जानकी मंदिर खटहा, श्री राम जानकी ठाकुरवारी, बड़हरा एवं श्री राम जानकी रानी ठाकुरबाड़ी की चाहर दिवारी निर्माण कार्य हेतु सी०एस० के लिए अधीक्षण अभियंता को भेजा गया है। उन्हें निदेशित किया गया कि कब्रिस्तान एवं मंदिर की चाहर दिवारी निर्माण की योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता अभियंत्रण संगठन/जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया)

प्रमादी मिलर के विरुद्ध कार्रवाई :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रमादी मिलर के विरुद्ध किए गए 6 मुकदमा के अभिलेख व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया को स्थान्तरित कर दिया गया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि वे मुकदमा की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर आगली बैठक में प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालन : जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला सहकारिता पदाधिकारी)

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल - 2 :-

सोनवर्षा से छतिसनगर तक तटबंध पर सड़क निर्माण हेतु अनापति प्रमाण-पत्र जल संसाधन विभाग द्वारा अभि तक नहीं दिया गया है जिसके कारण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस पर सड़क निर्माण की योजना नहीं ली जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि इस सड़क के निर्माण हेतु आमजनता का काफी दबाव है। अतएव कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2 विभाग में जा कर पहल करे एवं ग्रामीण कार्य विभाग को अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2)

अवैध राशन कार्डधारियों से वसूली :-

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध राशन कार्डधारियों से वसूली सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

अवैध पेंशन धारकों से वसूली :-

अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध पेंशनधारकों से वसूली सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

कृषि विभाग

फसल क्षति अनुदान :- बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि फसल क्षति अनुदान वितरण हेतु दो करोड़ रुपये का विपत्र प्रखंडों द्वारा तैयार किया गया है एवं अभी कोषागार में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं उन्हें निदेश दिया गया कि विपत्रों को अतिरिक्त कोषागार में भेजवाना सुनिश्चित करते हुए लाभुकों को अनुदान की राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

कृषि यंत्र भेला :- जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जे०एन०के०टी० इन्टर स्कूल, खगड़िया के मैदान में कृषि यंत्र भेला लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन- जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया)

फसल बीमा :- जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि फसल बीमा की राशि संबंधित लाभुकों को दिलाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया कि फसल क्षति अनुदान एवं फसल बीमा से संबंधित कार्यों की समीक्षा करे एवं अधोहस्ताक्षरी को समीक्षोपरान्त अवगत करायेंगे।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त, खगड़िया /जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया)

आपदा प्रबंधन :-

गत बैठक में पुष्का पर प्रभासी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा बताया गया कि बाढ़ से हुए गृह क्षति अनुदान की राशि विभाग से प्राप्त नहीं हुयी है।

नावों का निबंधन :-

समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि कुल 204 नवों का निबंधन हुआ है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक एवं अचलाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि सरकारी एवं नीजि नवों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें। उन्हें निदेश दिया गया कि जिन नवों का निबंधन नहीं हुआ है तथा बिना निबंधन के नाव परिचालन किया जा रहा है तो उसे जबा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /मोटरयान निरीक्षक)

माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्तावित विकास यात्रा :-

गत बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान को अवगत कराया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का विकास यात्रा के दौरान 4 जनवरी से 6 जनवरी 2018 तक के बीच खगड़िया परिभ्रमण कार्यक्रम है। अतएव खगड़िया प्रखंड के गौझरवित्त एवं बछौता पंचायत, बेलदौर के गोगरी एवं तेलिहार, अलौली के हरिपुर एवं छिलकौड़ी, चौथम के नीरपुर एवं धुलौली, गोगरी के रामपुर एवं राटन, मानसी के अमनी एवं पूर्वी ठाठा तथा परवता के कवेला एवं नयागांव पंचायत में सभी विभाग अपने विभाग के द्वारा चल रही योजनाओं एवं पूर्व चलायी गयी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर समीक्षा करें एवं प्रगति से तीन दिनों के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी तकनीकी सहित /सभी कार्यालय प्रधान)

योजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन :- सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित)/कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि अपने विभाग से संबंधित जिन योजनाओं का मुख्यमंत्री महोदय से उद्घाटन/शिलान्यास कराना चाहते हैं उसकी सूची दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूची तैयार करते समय यह ध्यान अवश्य देंगे कि जिन योजनाओं का शिलान्यास अथवा उद्घाटन कराना जाना है उन योजनाओं का शिलान्यास अथवा उद्घाटन पूर्व में किसी महानुभाव अथवा पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया हो।

(अनुपालन- सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी तकनीकी सहित /सभी कार्यालय प्रधान)

जिलाधिकारी,
खगड़िया

३०/१

ज्ञापक..... 2830 /गो0, दिनांक..... 11-12-17

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, खगड़िया /जिला आईटी0प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया